(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 07/2017/अपील

उनवान

1. तेजाबाई पुत्री रामलाल जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा
2. नारायणसिंह पि. रामलाल जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा
3. राधाबाई पि. रामलाल जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा
4. एलकारसिंह पि. रामलाल जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा
5. हिम्मतबाई बेवा रामलाल जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा

—— अपीलांटस

बनाम

1. देवीसिंह पि. हरीसिंह जाति सोधिया राजपूत नि. सरखेडी तहसील पिडावा
2. सरपंच ग्राम पंचायत सरखेडी पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

– रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 20.09.2016 नामा.सं. 1094

ग्राम पंचायत सरखेडी

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत सरखेडी द्वारा निर्णित नामा.सं. 1094 दिनांक 20.09.2016 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरखेडी के खाता सं. 164 के ख.नं. 83 , खाता सं. 165 के ख.नं. 9 , खाता सं. 166 की आराजी किता 3 , खाता सं. 167 की आराजी किता 3 , खाता सं. 168 के ख.नं. 128 की भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 1094 में ग्राम पंचायत सरखेडी द्वारा बिना तहकीकात किये तस्दीक किया है जो कि सही नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। [illegible] रामलाल के पांच भाई नाथूसिंह, रामलाल, हरीसिंह, [illegible] व एक बहिन भंवरबाई, फत्तीबाई थी जिसमें नाथूसिंह, [illegible] लावलाद फोत हुये है उनके कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पत्नि व संतान नहीं थी। चंदरबाई व फत्तीबाई की फोत हो चुकी है। इस प्रकार उनके पिता कालूसिंह के मरने के बाद हरीसिंह, रामलाल, नाथूसिंह का नाम खाते में दर्ज रहा। नाथूसिंह के लाऔलाद फोत हुआ एवं हिन्दूसिंह की आराजी पर भानेज बालूसिंह का नाम दर्ज हुआ। मृतक नाथूसिंह के स्थान पर गलत व फर्जी वसीयतनामा के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर विवादित नामा.सं. 1094 तस्दीक करवा लिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सरखेडी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मृतक नाथूसिंह लाऔलाद फोत हुआ है एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में वाद जेरकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारीज हो गया था एवं तथाकथित वसीयतनामा को न्यायालय द्वारा नहीं माना गया था। मृतक नाथूसिंह के हिस्से की आराजी उसके अन्य भाईयो व परिवारजन के आनी थी तथा पक्षकार के हक व अधिकार न्यायालय में चल रहे मुकदमे में निर्धारित होने है ऐसे में तथाकथित वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक अन्य वाद सं. 24/2009 देवीसिंह बनाम रामलाल वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में पेश किया था जो खारीज हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने नामा.जांच व तस्दीक करते समय अपीलांटस को वैध नोटिस नहीं दिये है एवं वादग्रस्त आराजी के कब्जे से संबंध में भी कोई जांच नहीं करवायी है। तथाकथित वसीयत में काटपीट कर रखी है एवं लाईन सं. 11 में यह लिखा है कि मेरा भाई हरीसिंह होगा वसीयत को संदेहप्रद बनाता है। अपीलांटस को नामान्तरकण की जानकारी दिनांक 18.07.2017 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर हुई।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत सरखेडी का आदेश नामा.सं. 1094 दिनांक 20.09.2016 को निरस्त किया जावे। अपील के साथ ग्राम सरखेडी के नामा.सं. 1094 की नकल पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से एडवोकेट हनीफ मेव ने वकालातनामा पेश किया गया। परन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके [illegible]तरफा कार्यवाही की गई। [illegible] जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तहसीलदार पिडावा की ओर से [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

COURT 2023

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम सरखेडी के खाता सं. 164 के ख.नं. 83 , खाता सं. 165 के ख.नं. 61 , खाता सं. 166 की आराजी किता 3 , खाता सं. 167 की आराजी किता 3 , खाता सं. 168 के ख.नं. 128 की भूमि के संबंध में दर्ज **नामा.सं. 1094 (तस्दीक दिनांक 20.09.2016) के अनुसार** वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नाथूसिंह पि. कालूसिंह लाऔलाद व कुंवारा, फोत हो चुका था (नामान्तरण तस्दीक होने से लगभग 10 वर्ष पूर्व)। तथा नामान्तरण विवरण अनुसार मृतक खातेदार नाथूसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.05.1990 के जरिये अपने सगे भाई के पुत्र देवीसिंह पि. हरीसिंह के पक्ष में की गई तथा उक्त वसीयत के आधार पर ही नामान्तरण दर्ज किया गया है। यदि दिनांक 10.05.1990 को की गई वसीयत की वैधता के विषय में कोई आपत्ति अपीलांटस को थी तो वसीयत की वैधता को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी।

आदेश

प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत सरखेडी द्वारा दिनांक 20.09.2016 को तस्दीक किये गए नामा.सं. 1094 वसीयत दिनांक 10.05.1990 के अनुसार है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। वसीयतकर्ता नाथूसिंह पि. कालूसिंह लाऔलाद व कुंवारा फोत हुआ है। अपील अपीलांटस खारीज की जाती है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner